राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक : प.6(ख)लेखा / ऑडिट समिति / एजी / डीएलबी / 2020/6927 दिनांक : 26.05.2023

:: कार्यवाही विवरण ::

निर्धारित कार्य क्रमानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः प. 5(20)प्र.स. / अनु.3 / 86 दिनांक 10.05.2010 द्वारा गठित विभागीय ऑडिट समिति की बैठक (A.G.) दिनांक 22.03.2023 को मध्यान्ह पश्चात 3:00 बजे शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की अध्यक्षता में निदेशालय के मीटिंग हॉल में सम्पन्न हुयी जिसमें जयपुर स्थित कार्यालयों के स्थानीय अधिकारी उपस्थित हुये एवं बाहर के अधिकारियों ने जरिये विडियों कान्फ्रेसिंग भाग लिया। उक्तानुसार निर्धारित समय पर बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1. श्री डॉ. जोगाराम, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
2. श्रीमती प्रतिभा सिंह, उप महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), राजस्थान जयपुर। (जरिये वीसी)
3. श्री महेन्द्र मोहन, वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्री हरि सिंह मीना, वित्तीय सलाहकार, नगर निगम (ग्रेटर) जयपुर।
5. श्री कृष्ण कन्हैया, मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम(हैरिटेज), राजस्थान जयपुर।
6. श्री महेन्द्र सक्सैना, वरिष्ठ लेखापरीक्षाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) जयपुर।
7. श्रीमती भारती हरजवानी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. श्रीमती सुमन लता मीणा, लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. श्री मांगी लाल प्रजापत, सहायक लेखापरीक्षाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा II), राजस्थान जयपुर।
10. श्री. गणेश नारायण गुर्जर, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम हैरीटेज, जयपुर राजस्थान।
11. श्री राजेन्द्र चौहान, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, उप निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर।
12. विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय उपनिदेशक, कोटा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर इत्यादि ने भाग लिया।
13. अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, निदेशालय जयपुर।

मिटिंग के दौरान प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया गया एजेंण्डा दिनांक 22.03.2023 पर बिन्दुवार चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1 बिन्दु संख्या 1 के अनुसार महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के भीतर नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणी एवं कुंजी दस्तावेज सहित भिजवानी होती है, किन्तु निकायों द्वारा इसे समय पर नही भिजवाया गया है। महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना के क्रम में शीध्र प्रथम अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निकायों को निर्देश दिये गये।

2. बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार अंकेक्षण के उपरान्त जारी ज्ञापनों का जवाब नही देने, जॉच दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नही करवाने, जॉच दल को सहयोग नही देने तथा गत वर्षो की बकाया प्रतिवेदनों की बकाया अनुपालना प्रस्तुत नही करने को अध्यक्ष एवं वित्तीय सलाहकार महोदय ने गंभीरता से लिया तथा अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होने निर्देशित किया की महालेखाकार कार्यालय के जॉच दल को अविलम्ब रिकोर्ड उपलब्ध करवाया जाये व उनके मीमो का जवाब तुरन्त दिया जाये। साथ ही पुराने बकाया अनुच्छेदों की सारगर्भित अनुपालना तैयार कर प्रस्तुत की जावें।

निकायों के सनदी लेखाकार (C.A) द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे (आय–व्यय खाता,तुलना पत्र एवं चट्ठा) इस कार्यालय को भिजवाने के बारे में निर्देशित किया जाना के संबंध में अवगत कराया गया कि राज्य की समस्त नगरीय वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरान्त वार्षिक लेखों को सीए से अंकेक्षण कराये जाने पश्चात वार्षिक अंकेक्षित लेखों की एक प्रति निदेशालय में प्रेषित करती है तथा साथ ही निकायों द्वारा उक्त वार्षिक अंकेक्षित लेखों की सॉफ्ट प्रति निकाय की विभागीय वैबसाईट पर भी अपलोड की जाती है। इसके साथ ही वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा 15 वें वित्त आयोग के बाध्य अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार City finance portal पर भी नगरीय निकायों द्वारा संबंधित निकाय के Unaudited एवं Audited financial statements अपलोड किये जा रहे है उसी के उपरान्त नगरीय निकायों को बाध्य अनुदान राशि की प्राप्ति हो रही है।

4 राज्य की सभी नगरीय निकायों में Accrual System से लेखांकन कार्य हेतु RMAM के आधार पर राज्य में वर्ष 2010 से राजस्थान म्यूनिसिपल अकाउन्टस मैन्यूअल (RMAM) तैयार किये गये है। नगरीय निकायों में दौहरा लेखा प्रणाली से लेखांकन कार्य हेतु लेखांकन के क्षैत्र में दक्ष (skill) कार्मिकों के अभाव में विभागीय निविदा के माध्यम से सम्भागवार सीए फर्मो को सूचिबद्व करते हुये सूचीबद्व सीए फर्मो के outsourcing के माध्यम से नियमित तौर पर करवाया जा रहा है। वर्तमान में 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राज्य की समस्त नगरीय निकायों में उपार्जन आधारित दोहरा लेखा प्रणाली (Accrual Based Double Entry Accounting system) से कार्य को और भी अधिक सुनिश्चिता के साथ किये जाने हेतु वर्तमान में एक Accounting Software बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। उक्त Software सूचना एवं जनसम्पर्क एवं प्रौधोगिक विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से तैयार करवाया जाना है। उपरोक्त Software बनाये जाने उपरान्त समस्त नगरीय निकायों के वार्षिक लेखें Accrual Based Double Entry Accounting system से Online web portal पर तैयार किये जा सकेगे एवं लेखांकन कार्य में भी पारदर्शिता आयेगी। इस प्रक्रिया को बिना विलम्ब के प्रतिवर्ष निर्धारित समय पर सम्पन्न किया जा रहा है, पुनः इस बाबत् संबंधित निकायों को उक्त कार्य हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया।

5 जयपुर नगर निगम की वर्ष 1998–2001 से 2021–22 तक कुल 17 निरीक्षण प्रविवेदनों में शामिल 730 आक्षेपों की अनुपालना शेष है। जिसके संबंध में नगर नगम (ग्रेटर/हैरिटेज), जयपुर के मुख्य लेखाधिकारी ने शीध्र ही बकाया आरोपों की अनुपालना प्रेषित किये जाने की प्रतिबद्वता दोहराई।

6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) के अध्याय–III में शामिल वांछित सूचनायें निदेशालय द्वारा समय पर उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता के संबंध में पूर्ण ध्यान रखते हुए वर्ष 2021–22 के सीएजी प्रतिवेदन हेतु सूचना विभागीय पत्रांक 25665 दिनांक 03.11.2022 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। शेष ईकाईयों की आय–व्यय की सूचना सभी ईकाईयों से संकलित करके शीघ्र ही उपलब्ध करावा दी जायेगी।

8 माह मार्च 2023 तक जारी कुल 956 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं उनमें गठित कुल आक्षेप 8156 (भाग II एवं भाग II ख) बकाया है जिनमें से 10 नगर निगमों के कुल 2223 आक्षेप भी बकाया के संबंध में निकायों को शीध्र ही कैम्प आयोजित कर ठोस अनुपालनाऐं प्रस्तुत करते हुए बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण बाबत् निर्देश दिये जाकर अनुपालनाऐं समय पर प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

9 चोरी, हानि, गबन संबंधी प्रकरण। (गबन 7/चोरी 02) के संबंध में जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, उनकी प्रगति से अवगत कराने, जिनकी वसूली बकाया है यथासम्भव वसूली करने एवं प्रकरणों के अनुसार अनुपालना कर प्रकरणों को शीध्र निस्तारण करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

10 ड्राफ्ट पैरा/ तथ्यात्मक विवरणों के प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं करने से संबंधित प्रकरण (08 प्रकरण) के संबंध में संबंधित को शीघ्र ही पालना प्रेषित करने हेतु कहा गया ताकि उक्त ड्राफ्ट पैरा/ तथ्यात्मक विवरण आगे जाकर सीएजी रिपोर्ट में शामिल नहीं हो। इस सम्बंध में निर्धारित समय में सम्बंधित निकायों द्वारा शीघ्र ही प्रत्युत्तर तैयार कर अनुपालना भिजवाने के निर्देश दिये गये।

11 बिन्दु सख्या 12 के अनुसार लम्बित सी.ए.जी. प्रतिवेदनों की अनुपालना एवं रिकवरी से संबन्धित सूचना शीघ्र ही तैयार कर अनुपालना भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये।

चर्चा के दौरान शासन सचिव एवं वित्तीय सलाहकार स्थानीय निकाय विभाग ने बकाया पैराज के संबंध में गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा बकाया पैराज की अनुपालना हेतु माह जून 2022 तक निदेशालय अथवा उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्तर पर कैम्प आयोजित करने हेतु निर्देश दिये, गये तथा आयोजित होने वाले कैम्पों में पूर्ण तैयारी के साथ एवं लेखापरीक्षा के दौरान प्रमुख आक्षेप जो कि पूर्व में भी पाये जाते रहे है की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना के साथ उपस्थित होने हेतु समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग को निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक का अध्यक्ष महोदय द्वारा सधन्यवाद समापन किया गया।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ख)लेखा/ऑडिट समिति/एजी/डीएलबी/2020/6928-7203 दिनांक : 26.05.2022

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा–II), राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर हैरीटेज/जयपुर ग्रेटर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा उत्तर/कोटा दक्षिण/अजमेर/जोधपुर उत्तर/जोधपुर दक्षिण ।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण अनुभाग), शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा/अजमेर/जोधपुर।
8. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर , हैरीटेज/जयपुर ग्रेटर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा उत्तर/कोटा दक्षिण/अजमेर/जोधपुर उत्तर/जोधपुर दक्षिण।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण), स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
10. लेखाधिकारी (अंकेक्षण), स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
11. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, राजस्थान को तुरन्त पालनार्थ।
12. कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन को सूचनार्थ।
13. प्रभारी आईटी सेल को विभागीय वैवसाईड पर अपलोड करवाने हेतु।

(महेन्द्र मोहन)
वित्तीय सलाहकार